बिहार सरकार
निगरानी विभाग

दृष्टि

निगरानी विभाग का गठन 26 फरवरी, 1981 को किया गया। मूलतः निगरानी विभाग प्रशासनिक व्यवस्था को भष्टाचार एवं कदाचार से मुक्त करना है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सकारात्मक एवं निरोधात्मक निगरानी रखने हेतु वर्तमान निगरानी प्रणालियों को सक्षम, कारगर, संवेदनशील एवं गतिशील बनाना ही इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु प्रशासनिक तंत्र

निगरानी विभाग के अनुषंगी कार्यालय

(1) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

(2) विशेष निगरानी इकाई

(3) तकनीकी परीक्षक कोषांग

- विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी
- जिला स्तरीय निगरानी कोषांग एवं निगरानी उड़नदस्ता
- बोर्ड एवं निगमों में मुख्य निगरानी पदाधिकारी

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF VIGILANCE DEPARTMENT

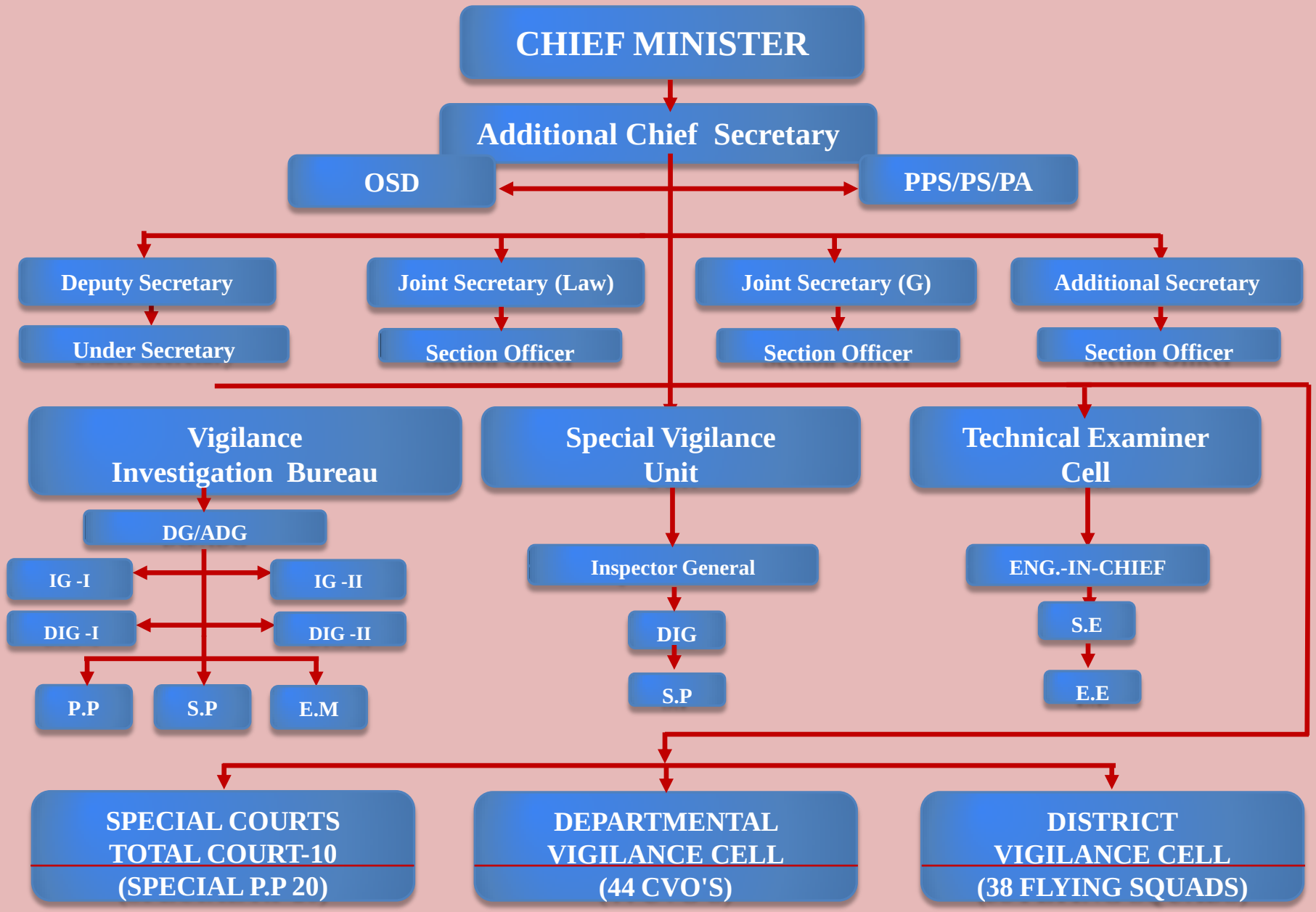

तकनीकी परीक्षक कोषांग

- तकनीकी परीक्षक कोषांग का गठन मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक 3739 दिनांक 05.07.1974 को किया गया है, जिसमें कार्य विभागों के अभियंत्रण संवग के पदाधिकारी पदस्थापित हैं। इस संस्था में अभियंता प्रमुख का एक पद सृजित है, जिसमें पथ निर्माण विभाग के स्तर से पदस्थापन की कार्रवाई की जाती है।
- तकनीकी परीक्षक कोषांग का मूल उद्देश्य सभी कार्य विभागों में लोक निधि के दुरूपयोग एवं निम्न कोटि के कार्य सम्पादन के संबंध में परिवादों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में लोक निधि के दुरूपयोग को बचाने के लिए, तथा उच्च स्तर के कार्य संपादन को सुनिश्चित करने के लिए तथा डिजाइन और स्पेसिफिकेसन के मुताबिक सामग्री के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित किये जाने का दायित्व है।
- समय–समय पर औचक जाँच किये जाने एवं यह सुनिश्चित किया जाना कि उचित दर स्वीकृत किये गये हैं कि नहीं। साथ ही साथ विशिष्टि के अनुरूप कार्य किये जा रहे या नही।
- समय–समय पर कार्य विभागों द्वारा भुगतान किये गये अंतिम विपत्रों के विवरणियों में से कुछ प्रतिशत का स्थल जाँच किया जाना।

- निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, जो निम्न प्रकार है :–462.pdf
- PWD code (1).pdf
- Bihar PWA Code Appendix 6.pdf
- 2347.pdf
- Leter No.34063-182-1708.pdf
- 948 DPR Punrikshan.pdf
- PWD Code Ki kandika 35 to 63.pdf

- एक जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के आलाक में नगर विकास विभाग के स्तर से एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें समिति द्वारा सूझाव एवं मंतव्य समर्पित किया गया था, जिसका नगर विकास विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई करन का निदेश दिया गया है। urban-17-19.pdf
- 2613 Kagjat Uplabdh Karane.pdf
- 3577 TEC ko Kagjat Uplabdh Karane.pdf
- 1045.pdf
- 66 RWD Ltr Thikness.pdf

धन्यवाद